राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नं.:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम–2091/2013)/अलेसे–III/2899 दिनांक :– 14/2/2022

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क.सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	10814	मनोज कुमार रेगर	एम.ए. (भूगोल) द्वितीय वर्ष – 2021–22 (स्वयंपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, नोहर, हनुमानगढ़।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम–2091/2013)/अलेसे–III/2899 दिनांक :– 14/2/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग/कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

F:\letter.docx975